न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 11/2021

श्री रामलाल पुत्र स्व0 सुवा निवासी सी–216 आशियाना ग्रीन वुड खोनागौरियान रोड जगतपुरा, जयपुर पिन 302017

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 12–7–2021

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी देवली को आवेदन पत्र दिनांक 18–1–2021 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

तहसीलदार दूनी कार्यालय से निम्न सूचनायें उपलब्ध कराने का कष्ट करे:
1 तहसीलदार दूनी द्वारा नायब तहसीलदार नगर फोर्ट को प्रेषित किया गया प्रासांगिक पत्र कमांक पत्रांक/2216 दिनांक 12.10.2020.
2 उपरोक्त पत्र दिनांकित 12.10.2020 प्रेषित करने से पूर्व इस कम में तहसीलदार दूनी के कार्यालय द्वारा तैयार की गई नोटशीट।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा पत्र कमांक 509 दिनांक 01–4–2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सुचना के कम में अपीलार्थी को पत्र कमांक RTI/2021/3072 दिनांक 22.02.2021 के द्वारा मूल आवेदन पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया कि आप द्वारा चाही जा रही सूचना कार्यालय तहसील दूनी से संबधित है एवं तहसीलदार दूनी स्वंय लोक सूचना अधिकारी है, से पृथक आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकते है जिसकी छायाप्रति संलग्न की।

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली को आवेदक का प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत तहसीलदार दूनी को अन्तरित कर सूचना देने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु उनके द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:36:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तरित नहीं किया गया ओर मूल आवेदन पत्र वापस लोटा दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने का पुनः प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/कार्यालय में उपलब्ध व सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दी जाने योग्य सूचना नियमानुसार उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली को सूचित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:36:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner